उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ

रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
प्रदेश अध्यक्ष
सम्पर्क ☎ : 0551-2241716, मो0: 9415548535
पत्राचार : मो0 तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामन्त्री
सम्पर्क ☎ : 05872-252057, मो0: 9415172656
पत्राचार : डी.सी. रोड, मो0 सिकटिहा, लखीमपुर-खीरी

* उपाध्यक्ष गण *

हरदेव शर्मा
(पश्चिमी जोन)
मो. 09412869499

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
मो. 09450223683

पुट्टी लाल यादव
(पूर्वी जोन)
मो. 09450088433

* कोषाध्यक्ष *

अमलेश कुमार शर्मा
मो. 09837062257

* संगठन मंत्री गण *

कृष्ण कुमार सिंह
(पश्चिमी जोन)
मो. 09058499749

सुशील कुमार श्रीवास्तव
(मध्य जोन)
मो. 09415525914

इफ्तखार अहमद
(पूर्वी जोन)
मो. 09450548706

* आडीटर *

राज किशोर अवस्थी
मो. 09936642639

पत्रांक :

दिनांक 05.04.2014

सेवा में,

सम्माननीय समस्त प्रदेश उपाध्यक्ष/संगठन मंत्री व
प्रान्तीय सहसचिव एवं जिलाध्यक्ष/जिला सचिव/
जिला संयोजक साहबान्
उ0प्र0 लेखपाल संघ

प्रिय बन्धुवर,

उ0प्र0 लेखपाल संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की त्रयमासिक बैठक पूर्व में दिनांक 21.10.2013 को प्रधान कार्यालय लखनऊ में आयोजित हुई थी। पारिवारिक कतिपय कारणोवश समयाभाव के कारण तत्समय ही आप सभी को कार्यवाही की प्रति नहीं भेजी जा सकी, जिसके लिए खेद है। लोकसभा निर्वाचन आदि के कारण आगामी बैठक में विलम्ब होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में सभी को अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराना अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ। पूर्व बैठक में मिश्रित रूप से प्राप्त विचारों में से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सदन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही निरन्तर की जा रही है:-

1. राज्य कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सदन के बहुमत से लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश स्तर पर गठित राज्य कर्मचारी अधिकार मंच को संस्था द्वारा समर्थन दिया गया। प्रदेश के समस्त लेखपाल साथियों ने सक्रिय भागीदारी करके निर्देशों का अनुपालन किया, जिसके लिए केन्द्रीय समिति हृदय से आभार व्यक्त करती है और भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है।

संवर्ग का आक्रोश :- राज्य कर्मचारी अधिकार मंच को प्रथम बार सदन के निर्णयानुसार समर्थन दिया गया, परन्तु खेद है कि कर्मचारियों की सामूहिक मांग तथा वाहन भत्ता, एल0टी0पी0 में विसंगति, पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने आदि पर प्रभावी निर्णय न होकर मात्र संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति व्यवस्था देने के निर्णय से संवर्ग में आक्रोश उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप संवर्ग की भावनाओं के अनुरूप संस्था द्वारा शासन से गठित कमेटी के समक्ष दिनांक 02.12.2013 को उपस्थित होकर प्रभावी ढंग से पहल करते हुए प्रत्यावेदन दिया गया और तर्कयुक्त मांग की गयी कि राजस्व निरीक्षक का पद समाप्त करके 1326 राजस्व निरीक्षक एवं प्रोन्नति पद के रूप में आरक्षित 617 नायब तहसीलदारों के पदों को संविलयन करके संख्यानुसार पदोन्नति का अनुपात निर्धारित करके संग्रह अमीन से अधिक योग्यता रखने वाले लेखपालों को भी नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी जाय।

शेष पृष्ठ 2.....पर

dk2011

शासन द्वारा संस्था की मांग को औचित्यपूर्ण नहीं माना परन्तु संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति व्यवस्था हेतु की गयी घोषणा को भी औचित्यहीन मानकर उनकी मांग को भी निरस्त करके राजस्व कार्यपालक (रा0नि0) नियमावली 2014 जारी कर दी गयी है जिसके अनुसार संग्रह अमीन रा0नि0 पद पर प्रोन्नति किये जायेंगे।

2. राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नति :-

संस्था ने अपने पत्र दिनांक 15.04.13, 10.08.13, 06.11.13, 06.01.14, 06.02.14 व 01.03.14 के द्वारा निरन्तर मांग की गयी कि राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली वर्ष 2011 में निहित व्यवस्थानुसार पूर्व से रिक्त पद एवं माह जुलाई 2012 से जून 2013 तक होने वाले रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए कुल रिक्त पद में से 94 प्रतिशत पदों पर लेखपाल संवर्ग से पदोन्नति की जाय। परिषद को जनपदों से अपेक्षित सूचनाओं का समय से न मिलना/साजिशन कतिपय रजिस्ट्रार कानूनगों/भूलेख लिपिक स्तर से रूचि न लेकर अपेक्षित सूचनायें सही रूप में समय से नहीं भेजी जाती है वहीं हमारे तहसील एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों की उदासीनता से भी कार्यवाहियों में विलम्ब होता है। इन सब कारणों से चयन में विलम्ब हुआ। जब संस्था द्वारा राजस्व परिषद के घेराव कार्यक्रम की नोटिस दी गयी तो परिषद द्वारा दिनांक 28.11.13 को संस्था शिष्टमण्डल से भेंट वार्ता के पश्चात कार्यवृत्त जारी करके आश्वस्त किया गया कि माह दिसम्बर 2013 में प्रत्येक दशा में प्रोन्नतियां कर दी जायेगी एवं अन्य बिन्दुओं पर भी प्रभावी कार्यवाही होगी, परन्तु खेद है कि इसी अन्तराल में तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव का स्थानान्तरण हो गया, फलस्वरूप सभी निर्णय यथावत्/पूर्ववत ही रह गये।

पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 18.04.12 के अनुपालन में रा0नि0/सा0नि0/ भूलेख लिपिक/ राजस्व निरीक्षक को एकीकृत करके नियमावली का आलेख शासन के निर्देश पर परिषद ने भेजा। रजिस्ट्रार कानूनगों संघ के द्वारा शासन/परिषद में दो पत्र देकर विरोध किया गया कि राजस्व कार्यपालक नियमावली 2011 में निर्धारित अनुपात के बजाय नई प्रस्तावित नियमावली में दिय गये अनुपात के आधार पर ही प्रोन्नति किया जाय। रजिस्ट्रार कानूनगों संघ की यह मांग पूर्ण रूप से द्वेषपूर्ण एवं अव्यवहारिक थी।

उल्लेखनीय है कि वेतन आयोग (राज्य) द्वारा वर्ष 1986 में राजस्व निरीक्षक का वेतनमान केन्द्र के आफिस कानूनगों के समतुल्य मानते हुए 1200–2040 की संस्तुति की थी, जबकि प्रदेश के राजस्व विभाग में आफिस कानूनगों के समान रजिस्ट्रार कानूनगों का पद होता है। तत्समय केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पृष्ट सं0–134 के प्रस्तर 8–9 पर स्पष्ट किया है कि पर्यवेक्षण करने वाले पदों का वेतनमान 1400–2300 (तत्समयानुसार) से कम न होना चाहिए। उक्त के क्रम में वर्ष 1989 में समता समिति की संस्तुतियों के पश्चात राजस्व निरीक्षक का प्रारम्भिक वेतनमान

शेष पृष्ठ 3_____पर

1350–2200 किया गया। वही रजिस्ट्रार कानूनगों का वेतनमान वर्ष 2009 तक 1200–2040 रू0 के अनुसार ही रहा। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ वेतनमान के कर्मी को कनिष्ठ वेतनमान कर्मी के साथ संविलयन करना अन्याय पूर्ण है। वहीं संस्था की पहल पर 327 पदों के अधियाचन को वापस लेकर संवर्ग के पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने हेतु ही 94 प्रतिशत पदों पर लेखपाल संवर्ग से पदोन्नति व्यवस्था देकर नियमावली 2011 जारी की गयी थी। संविलयन का विरोध करते हुये दिनांक 15.04.13 को 53 संलग्नकों द्वारा दिनांक 10.08.13 को 65 संलग्नकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित एवं अन्य को पृष्ठांकित प्रत्यावेदन देने के पश्चात भी उसे अनदेखा करके राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली 2014 दिनांक 17.02.14 को जारी कर दी गयी है, जिसमें 1398 पदों को भी नहीं बढाया गया, जबकि परिषद से आलेख भेजा गया था। उक्त नियमावली के जारी होने से निश्चित रूप से पदोन्नति के अवसर कम हुये हैं और संवर्ग में असंतोष होना स्वाभाविक है। सदस्यों से धैर्य की अपेक्षा है। पूर्व में भी दिनांक 21 मार्च 2002 को लेखपाल संवर्ग से रा0नि0 पद पर प्रोन्नति 49 प्रतिशत किया गया था, जिसे समाप्त करवाकर संस्था ने 94 प्रतिशत करवाया था। हम सभी लोग चिन्तित है। विरोध भी किया गया है। राजस्व निरीक्षक के समस्त रिक्त पदों पर 16 फरवरी 2014 के पूर्व पदोन्नति हेतु विद्यमान व्यवस्था राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली 2011 के अनुसार की जाय। ऐसा विचार करके परिषद में प्रत्यावेदन देने के उपरान्त उच्च न्यायालय में संस्था द्वारा एक रिट भी योजित करके अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रभावी प्रयास जारी है।

3. <u>संस्था पदाधिकारियों व आयुक्त एवं सचिव महोदय के मध्य हुई वार्ता दिनांक 28.11.2013 के परिप्रेक्ष्य में जारी कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति :–</u>

क. देवी पाटन मंडल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में कार्यरत लेखपालों को कृषिगणना 2005–06 तथा इनपुट सर्वे 2006–07 के कार्य हेतु अवशेष 4 जनपदों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का अवशेष मानदेय मु0 832000/– रू0 परिषदादेश दि0 28.11.2013 के द्वारा भुगतान हेतु अवमुक्त कर दिया गया है।

ख. लेखपाल की शैक्षिक योग्यता स्नातक एवं नियुक्त अधिकारी जिलाधिकारी किये जाने विषयक परिषद के पत्र दि0 20.01.11 अनुस्मारक 27.02.13, 07.06.13 व 18.11.13 तथा 05.12.13 द्वारा शासन स्तर से निर्णय लेकर अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है। तदोपरान्त ही लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित होगा।

ग. छठे वेतन आयोग की संस्तुति के लागू होने के फलस्वरूप वेतन बढ़ोत्तरी के अन्तर्गत अवशेष 40 प्रतिशत एरियर के भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था के विषय में परिषद द्वारा लेखपाल संघ की नोटिस दिनांक 06.11.13 के क्रम में 258415290/– रू0 की बजट व्यवस्था हेतु दि0 03.12.13 को शासन से वेतन मद से भुगतान करने हेतु अनुमति मांगी गयी थी। परिषद स्तर से कई अनुस्मारक शासन को भेजने के पश्चात वित्त विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही करके शासनादेश

शेष पृष्ठ 4.....पर

दिनांक 26.03.2014 के द्वारा अनुमति दे दी गयी है जिसकी सूचना दिनांक 27.03.2014 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को ई–मेल से परिषद द्वारा कर दी गयी थी और उसी दिन जोन व मण्डल के पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए जनपदों को संज्ञानित करवाने के निर्देश दे दिये गये थे।

घ. शासनादेश दिनांक 16.11.12 के अनुसार नियत यात्रा भत्ता 100/– रू0 के स्थान पर 200/– रू0 करने हेतु परिषद द्वारा दिनांक 06.12.13 को शासन में निर्णय लेने हेतु पत्र भेजा गया है, कई अनुस्मारक भी गये हैं। प्रभावी कार्यवाही चल रही है।

ङ. संवर्ग की सेवा सम्बन्धी समस्याओं के सामयिक निस्तारण हेतु परिषदादेश दि0 16.01.2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को निर्देश शासनादेश दिनांक 07.01.13 के क्रम में जारी कर दिये गये हैं।

च. चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नति पर लेखपाल को महा लेखाकार कार्यालय में नवीन लेखा संख्या का आवंटन प्राप्त कर नया खाता/पासबुक बनाने व चतुर्थ श्रेणी के रूप में उनके जी0पी0एफ0 लेखे में जमा धनराशि एवं उस पर देय ब्याज की राशि का ट्रांसफर उनके वर्तमान जी0पी0एफ0 लेखे में (तृतीय श्रेणी में) कराये जाने हेतु परिषदादेश दि0 22.01.14 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश पारित कर दिये गये हैं।

छ. जनगणना व पशुगणना के सम्पादित कार्यों के मानदेय के भुगतान हेतु परिषद स्तर से जनगणना व पशुगणना निदेशक को कड़े निर्देश भेजे गये हैं।

ज. आय के मानक निर्धारण हेतु परिषद स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया है। कई बैठकें हो चुकी है परन्तु अभी अंतिम निर्णय नहीं प्राप्त हो सका है।

4. <u>उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली 2014 में विद्यमान व्यवस्था :–</u>

i. लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नति प्राप्त राजस्व निरीक्षक एवं सीधी भर्ती आदि के राजस्व निरीक्षक में से 41 प्रतिशत पदों पर नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति होंगे।

ii. सहायक रजि0/रजि0का0/भूलेख लिपिक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति 9 प्रतिशत पूर्ववत रहेगी परन्तु राजस्व निरीक्षक (एकीकृत) की ज्येष्ठता क्रम सूची में नाम दर्ज होने से पूर्व उपरोक्त को रा0नि0 पद का प्रशिक्षण एवं परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। प्रदेश स्तर का कैडर होगा। जनपद के बाहर स्थानान्तरण भी होंगे।

iii. प्रदेश में जब तक एक भी [illegible] लिपिक पद पर कोई कर्मी कार्यरत [illegible] तब तक [illegible] लाभ मिल सकेगा।

[illegible]

शेष पृष्ठ [illegible] पर

5. **ए0सी0पी0 में विसंगति की अद्यावधिक स्थिति :–**

इस सम्बन्ध में समय–समय अनेक कनिष्ठ मित्रों ने आक्रोश, खेद एवं दुःख व्यक्त किया। प्रधान कार्यालय को भी पूर्ण रूप से आर्थिक क्षति का आभास है और सदस्यों का आक्रोशित होना भी स्वाभाविक एवं उचित है। संस्था द्वारा समय–2 पर प्रभावी ढंग से प्रत्यावेदन दिये गये, जिन्हें शासन ने निरस्त किया। उक्त विसंगति सभी विभागों में है। राज्य कर्मचारी अधिकार मंच को समर्थन भी यही मानकर दिया गया था कि शासन निश्चित रूप से दबाव में आकर कार्यवाही करेगा, परन्तु खेद है कि कुछ न हो सका। पुनः विफलता ही मिली।

6. भविष्य की योजनायें जिस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है :–

अ. लेखपाल का प्रारम्भिक ग्रेड पे पंजाब, हिमांचल सरकार में कार्यरत पटवारियों को प्रदत्त ग्रेड पे के समान रू0 3200 किया जाय।

ब. लेखपालों को ए0सी0पी0 के बजाय उत्तराखण्ड सरकार के लेखपालों को प्रदत्त वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान के रूप में अगले पद क्रम का देय ग्रेड पे दिया जाय।

स. लेखपालों को वाहन भत्ते के रूप में 1200/– रू0 प्रतिमाह उत्तराखण्ड लेखपालों के अनुरूप दिया जाय।

द. लेखपालों के द्वारा वाहन खरीद पर पड़ने वाले कर/वैट के भार से मुक्त किया जाय।

य. उत्तराखण्ड के लेखपालों के समान 500/–रू0 प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता प्रदान किया जाय।

र. सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त लेखपालों को लैपटॉप व मोबाइल सेट सी0यू0जी0 नम्बर सहित उपलब्ध कराया जाय तथा रखरखाव आदि हेतु औसत रूप में मासिक धनराशि का निर्धारिण किया जाय।

ल. उत्तराखण्ड में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों को संशोधित ग्रेड पे रू0 2800 के स्थान पर 4200 रू0 किया गया है और उड़ीसा एवं हिमांचल में भी यह ग्रेड पे है। अतएव उ0प्र0 में भी रा0नि0 का प्रारम्भिक ग्रेड पे रू0 4200 किया जाय तथा स्टेशनरी भत्ता, वाहन भत्ता आदि की सुविधायें भी उक्त प्रान्त के अनुसार ही दी जाये।

7. संस्था के प्रभावी प्रयासों के पश्चात भी विलफलता क्यों?

अ. कतिपय पदाधिकारियों द्वारा अच्छे हल्कों को प्राप्त करना।

ब. कतिपय पदाधिकारियों द्वारा एक से अनेक हल्के रखना।

स. लेखपालों को रिक्त क्षेत्रों के चार्ज लेने में प्रतिस्पर्धा।

द. राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों पर अवैधानिक रूप से प्रभारी बनने की होड़।

य. कतिपय पदाधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति के कारण संवर्ग का शोषण।

र. र0का0 कार्यालयों सहित विभिन्न कार्यालयों में लेखपालों का सम्बद्धीकरण।

शेष पृष्ठ 6.....पर

8. <u>एक विचारणीय बिन्दु –</u>

संस्था द्वारा सदैव अपने सदस्यों के हितों की रक्षा एवं संवर्ग के सदस्यों तथा शासन व प्रशासन के मध्य उचित सामन्जस्य बनाये रखने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में लेखपाल संवर्ग के प्रोन्नति पर कुठाराघात हुआ है। उल्लेखनीय है कि रजि0कानू0 संघ के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका में पूर्व में हुये निर्णय के क्रम में रा0नि0/स0र0का0/रा0का0 व भूलेख लिपिक को एकीकृत करके प्रदेश पर एक कैडर रा0नि0 बनाकर तद्नुसार कोटिक्रम सूची तैयार करके नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति करने के आदेश जारी हुये थे, जिसमें संस्था द्वारा भी आवश्यक पक्षकार बनकर विरोध किया गया है। रिट याचिका में अभी तक संस्था पक्ष पर विचार नहीं किया गया है, फिर भी पूर्व में न्यायालय के आदेश के क्रम में 17 फरवरी 2014 को रा0नि0 नियमावली व नायब तहसीलदार सेवा नियमावली जारी कर दी गयी है, जिसमें रजि0कू0 संगठन का पदोन्नति का उनके अनुसार स्वप्न पूर्ण न हो सका है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हितों को तर्कसंगत रखने के कारण संग्रह अमीन नायब तहसीलदार न बन सके हैं।

उक्त कारणों से उपरोक्त संस्था से कतिपय पदाधिकारियों द्वारा उ0प्र0 लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के प्रति द्वेष भावना रखते हुए उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने व सदस्यों को गुमराह करने के कुत्सित प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे दिग्भ्रमिक सदस्यों को तर्कयुक्त तथ्यों के साथ समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि राजस्व परिवार एक है। संस्था का प्रयास पूर्व में भी सभी के हितों को जोड़कर कार्य करने का रहा है, परन्तु कतिपय संगठन के पदाधिकारी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के अभाव में एकता के सूत्र में बंधने से परहेज कर रहे हैं। जबकि वर्तमान समय में राजस्व विभाग के कर्मियों का शोषण, सुविधाओं में कमी, निम्न वेतनमान, प्रोन्नति के अवसर नगण्य होते जा रहे हैं इस पर सभी संगठनों को विचार करना चाहिए।

साथियों उत्तराखंड के लेखपाल पर्वतीय/मैदानी द्वारा एक लम्बा सफल आन्दोलन एक जुटता के साथ किया गया। सराहनीय सफलतायें प्राप्त की गयी। उ0प्र0 में भी आगामी लोक सभा के निर्वाचन के पश्चात एक वृहद आन्दोलन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उ0प्र0 में संवर्ग के अधिकांश सदस्य घन्टो में या कुछ दिन के आन्दोलन में ही बड़ी सफलता की आशा रखते हैं जो विचारणीय है। एकता, धैर्य एवं सयंम के साथ अपने नेतृत्व पर भरोसा करके हृदय से आन्दोलन को गति देना सफलता की कुंजी हो सकती है।

प्रधान कार्यालय द्वारा उपरोक्त भविष्य के बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 06.02.2014 व 28.02.2014 द्वारा शासन/परिषद से कार्यवाही करने की अपेक्षा की जा चुकी है। तद्नुसार परिषद के पत्र दिनांक 12.03.14 (संलग्न छायाप्रति) द्वारा कार्यवाही किये जाने के प्रति आश्वस्त किया गया है।

शेष पृष्ठ 7_____पर

उ0प्र0 लेखपाल संघ द्वारा लम्बित मांगों पर प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। कतिपय कारणोवश प्रदेश कार्य समिति की बैठक समय से सम्पादित न हो सकी। कारणों से अधिकांश सदस्य भिज्ञ है। **आगामी कार्य समिति की बैठक 01.06.2014 दिन रविवार समय 10 बजे प्रधान कार्यालय लखनऊ में आयोजित होगी।** एजेण्डा पत्र के साथ संलग्न है। दिसम्बर 2014 तक जिन जनपदों में निर्वाचन होना है, उसका विवरण भी पत्र के साथ संलग्न है। समय से निर्वाचन सम्पन्न कराना जोन/मंडल के पदाधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा। निर्वाचन 2 वर्ष के लिए होगा। निर्वाचन अधिकारी/प्रेक्षक जनपदों में चुनाव के समय मतदाता सूची प्राप्त कर वर्ष 2013 का 20/–रू0 प्रति सदस्य एवं वर्ष 2014 का 40/– रू0 प्रति सदस्य की दर से संस्था शुल्क प्राप्त कर प्रधान कार्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्वाचित पदाधिकारियों के पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष नम्बर सहित एवं कार्यरत लेखपाल, स्वीकृत पद का उल्लेख भी करेंगे। वर्ष 2013 समाप्त हो चुका है। अधिकांश जनपदों पर संस्था शुल्क भी बकाया है, कृपया अतिशीघ्र भुगतान करना सुनिश्चित करें। पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर 30 जून 2014 को आधार मानकर वांछित सूचना संग्रहीत करके अतिशीघ्र भेजे।

पत्र की छायाप्रति उपशाखा स्तर तक भेजकर आमसभा में वाचन करवाया जाय, नई तहसीलों के गठन से भी अवगत करायें।

अनुपालनार्थ/सूचनार्थ।

भाईचारे की भावना के साथ सक्रिय सहयोग की प्रत्याशा में।

आपका अपना

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि :– प्रदेश अध्यक्ष, उ0प्र0 लेखपाल संघ को सूचनार्थ।

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामंत्री

dk2011

रजिस्टर्ड

कार्यालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, अनुभाग – 4, लखनऊ

संख्या– 869/4– 39ए/85 टी0सी0 दिनांक 12 मार्च, 2014

श्री अवधेश सिंह चौहान,
प्रदेश महामंत्री,
उ0 प्र0 लेखपाल संघ
डी0सी0रोड मो0 सिकटिहा
लखीमपुर खीरी।

कृपया प्रदेश के राजस्व लेखपालों का प्रारम्भिक वेतनमान पंजाब महाराष्ट्र एवं हरियाणा प्रान्त के अनुसार एवं प्रोन्नति वेतनमान व वाहन भत्ता उत्तराखण्ड सरकार के समतुल्य करने से संबंधित मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित तथा परिषद व अन्य को पृष्ठांकित अपने पत्रांक रहित पत्र दिनांक 06.02.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त परिषद स्तर से प्रभावी शासनादेशो के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

18/3/14

(एस0 एन0 त्रिपाठी)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव।

प्रारूप-दिनांक 30.06.2014 के आधार पर सूचना

क्र0	जनपद	क्र.	तहसील	लेखपाल			राजस्व निरीक्षक			नायब तहसीलदार			विधिक रूप से चयनित रा0नि0 का नाम	नियुक्ति तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि	मोबा0नं0
				स्वीकृत पद	कार्यरत	शेष	स्वीकृत पद	कार्यरत	शेष	स्वीकृत पद	कार्यरत	शेष			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

उपर्युक्त प्रारूप पर सूचना अतिशीघ्र भेजें।

भवदीय,
(अवधेश सिंह चौहान) 12/4/14
प्रदेश महामन्त्री